

**अनुदान संख्या 98 – जनजातीय कार्य मंत्रालय**  
**GRANT No. 98 - MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
<i>प्रभारित—</i>	<i>Charged-</i>			
मूल	<i>Original</i>	5659,27,00		
		5982,14,00	5982,07,83	-6,17
पूरक	<i>Supplementary</i>	322,87,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			6,17
<i>स्वीकृत—</i>	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	1155,69,00		
		1278,03,00	1265,58,82	-12,44,18
पूरक	<i>Supplementary</i>	122,34,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			12,47,44
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
<i>स्वीकृत—</i>	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	80,00,00		
		80,01,00	80,00,00	-1,00
पूरक	<i>Supplementary</i>	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			1,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
---------------------------------------	--	--

शीर्ष Head	Head				
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	565924.00			
पू.	S.	32287.00	598207.83	598207.83	..
पु.	R.	-3.17			

(I) ₹ 3.00 लाख का विनियोग दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम – वनबंधु कल्याण योजना” – ₹ 2279.75 लाख की बचत (₹ 27000.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(II) Under “Grants for Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana” - saving of ₹ 2279.75 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹ 27000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹ 2278.75 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप योजना – जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजाति शिक्षा के लिए अनुदान” के अंतर्गत नवंबर, 2019 में ₹ 18500.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹ 2278.75 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary appropriation of ₹ 18500.00 lakhs in November, 2019 under “Grants for Centrally Sponsored Schemes- Tribal Area Sub-Plan- Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education”.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹ 1244.18 लाख) नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹ 12234.00 लाख के पूरक अनुदान का 10 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का करीब 1 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹ 1247.44 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹ 1244.18 lakhs) constituted 10 percent of the supplementary grants of ₹ 12234.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and nearly 1 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹ 1247.44 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत  
हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the  
following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	41918.00		
पू.	S.	12234.00	52659.72	52664.03
पु.	R.	-1492.28		+4.31
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	70601.00		
पु.	R.	-70601.00	..	..
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
पु.	R.	71226.46	71226.46	71226.46

(I) ₹70601.00 लाख का प्रावधान पाँच मामलों में मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :-

(I) Provision of ₹70601.00 lakhs remained wholly unutilised in five cases under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "जनजाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता - अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : विशेष केन्द्रीय सहायता" - ₹10000.00 लाख;

(A) "Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance" - ₹10000.00 lakhs;

- (खा) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना” –
- (क) “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(I) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान” – ₹34000.00 लाख;
- (ख) “जनजाति संस्थान” – ₹1601.00 लाख;
- (ग) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम : वन बंधु कल्याण योजना” – ₹2000.00 लाख; और
- (घ) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम : जनजाति शिक्षा” – ₹23000.00 लाख ।

प्रावधान उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष “2225” – “अनुसूचित जातियों का कल्याण – जनजाति क्षेत्र उप-योजना – जनजाति संस्थानों को समर्थन” – ₹17330.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6141.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹23471.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹515.67 लाख की सीमा तक कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹813.19 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थीं ।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

- (I) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान”-
- (का) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला

- (B) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (a) “Welfare of Scheduled Tribes - Grants under proviso to Article 275(I) of the Constitution” - ₹34000.00 lakhs;
- (b) “Tribal Institutions” - ₹1601.00 lakhs;
- (c) “Umbrella Scheme for Development of STs: Van Bandhu Kalyan Yojana” - ₹2000.00 lakhs; and
- (d) “Umbrella Scheme for Development of STs: Tribal Education” - ₹23000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Tribes - Tribal Area Sub-Plan -Support to Tribal Institutions” - the original provision of ₹17330.00 lakhs was augmented to ₹23471.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6141.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹515.67 lakhs - due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(III) Under two heads savings of ₹813.19 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent and 26 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head “3601” - under the following heads:-

- (I) “Grants for Centrally Sponsored Schemes”-
- (A) “Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of

कार्यक्रम : विशेष केन्द्रीय सहायता” – ₹10062.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(खा) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना”–

(क) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजाति संस्थानों को सहायता” – ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ख) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजाति शिक्षा” – ₹24500.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ग) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वन बंधु कल्याण योजना” – ₹2000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में); और

(II) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जनजाति क्षेत्र उप-योजना – अनुसूचित जनजाति कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275 (I) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान” – ₹34064.46 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में)।

अधिक व्यय उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख का पूरक प्रावधान एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अतंतः अभ्यर्पित कर दिया गया था।

Scheduled Tribes: Special Central Assistance” - excess of ₹10062.00 lakhs (against nil provision);

(B) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions” - excess of ₹600.00 lakhs (against nil provision);

(b) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education” - excess of ₹24500.00 lakhs (against nil provision);

(c) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana” - excess of ₹2000.00 lakhs (against nil provision); and

(II) “Other Transfer/Grants to States-Tribal Area Sub-Plan-Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(I) of the Constitution” - excess of ₹34064.46 lakhs (against nil provision).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. In the capital section of the grant, supplementary provision of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019 remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.